तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्द्वारा, नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड है. उसकी जन्मतिथि 19 अगस्त 1987 है.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2014

क्र. एफ 6-6-2014-58.—विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 जुलाई 2014 के पृष्ठ क्र. 630 (3) के अनुक्रमांक-18 पर बुरहानपुर जिले में केला फसल के लिए नेपानगर तहसील को शामिल कर, अधिसूचित किया जाता है.

यह अधिसूचना दिनांक 24 जुलाई, 2014 से ही लागू मानी जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. आर. काटवाले, अवर सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2014

क्र. 4540-5589-2013-आठ.—श्री महेश प्रसाद अवस्थी, अध्यक्ष राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन के विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्र. 3-(ए)-19-03-21-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक दो वर्ष की ब्लॉक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

मयप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलू मरकाम, अवर सचिव.

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2014

क्र. एफ-3-42-2014-बत्तीस.—इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 4476-5622-बत्तीस-1976, दिनांक 8 नवम्बर 1976 द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13(1) के प्रावधान अंतर्गत झाबुआ निवेश क्षेत्र की सीमाएं का गठन किया गया था. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13(2) के अन्तर्गत पूर्व गठित झाबुआ निवेश क्षेत्र में ग्राम मिण्डल, बाडकुआँ एवं ग्राम रतनपुरा को सम्मिलित करते हुए, संशोधित निवेश क्षेत्र का गठन करता जिसकी सीमाएं निम्न अनुसूची में दर्शाए अनुसार है:—

अनुसूची

झाबुआ निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं

उत्तर में—ग्राम मिण्डल, नगरपालिका, झाबुआ, ग्राम गडवाडा की उत्तरी सीमा तक.

पश्चिम में—ग्राम मिण्डल, बाडकुआँ, रतनपुरा, आम्बाखोदरा, बिलीडोज की पश्चिमी सीमा तक.

दक्षिण में—ग्राम बिलीडोज, नाचनखेड़ा, धरमपुरी, गडवाडा की दक्षिणी सीमा तक.

पूर्व में—ग्राम मिण्डल, नगरपालिका, झाबुआ, ग्राम गडवाडा, नाचनखेड़ा एवं धरमपुरी की पूर्वी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2014

क्र. एफ 1-12-2013-छब्बीस-1.—राज्य शासन द्वारा संदर्भित आदेश के द्वारा ''समग्र पुनर्वास नीति'' का प्रारूप तैयार करने के लिये पांच सदस्यों को आयोग में सदस्य के रूप में मनोनयन किया गया है. आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तथा अन्य सुविधाएं निम्नानुसार निर्धारित करता है:—

1. सदस्यों की नियुक्ति पूर्णतः अवैतनिक होगी.
2. समस्त सदस्य ''समग्र पुनर्वास नीति'' का प्रारूप तैयार करने हेतु मध्यप्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग के अध्यक्ष के अधीन रह कर कार्य में सहयोग करेंगे.

271